भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 1525

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान कल्याण योजनाओं के लिए बजट आवंटन

1525. श्री राजकुमार रोत:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कितना बजटीय आवंटन और उपयोग किया गया तथा उसका वर्ष-वार एवं योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या सहित पात्र माने गए आवेदकों की राज्य-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत बांसवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में प्राप्त किए गए और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उसका वर्ष-वार, पंचायत-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार, कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं और किसानों के हितों के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत आवंटन का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ग): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत से अब तक 19 किस्तों के माध्यम से 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी।

पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त में पीएम-किसान योजना का लाभ पाने वाले किसानों का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

लाभार्थियों की किस्त-वार संख्या और वितरित राशि **अनुबंध III** में दी गई है।

(घ) एवं (ङ): पीएम-किसान योजना के बांसवाड़ा जिले (राजस्थान) में लाभार्थियों की संख्या (19वीं किस्त के अनुसार) 2,25,040 है और योजना की शुरुआत से अब तक वितरित कुल राशि 690.28 करोड़ रुपये है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंचायत-वार आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल, पीएम-किसान ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, उनके आवेदन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अस्वीकार किये जा सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, विभाग द्वारा तुरंत लाभ संसाधित किया जाता है और इसे अगली किस्त में जारी रखा जाता है।

पात्रता के सत्यापन के बाद पीएम-किसान योजना में किसानों का पंजीकरण, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आता है। वे किसान जो सत्यापन के बाद पीएम-किसान योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे पंजीकरण के लिए पात्र हैं और पीएम-किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अनुबंध I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत आवंटन का विवरण (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) (रुपये करोड़ में)

क्रं. सं.	मिशन/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22	
		संशोधित अनुमान	उपयोग	संशोधित अनुमान	उपयोग
कुल- सकल योग- अनुदान संख्या 1 (योजना + गैर-योजना)		**116757.92**	**108622.51**	**118294.24**	**114840.78**
I- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ/परियोजनाएँ					
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी	19831.75	14161.48	15989.39	13549.24
2	किसानों को अल्पावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी	15306.55	17789.72	18142.30	21476.93
3	बाज़ार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस/पीएसएस) का कार्यान्वयन	996.00	1357.91	3595.61	2288.33
4	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	300.00	0.00	1.00	0.00
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दलहन का वितरण	620.00	537.49	50.00	50.00
6	फसल अवशेषों के स्थानीय प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा	600.00	570.72	700.00	691.30
7	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	65000.00	60989.90	67500.00	66825.11
8	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	50.00	110.00	0.50	39.50
9	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	250.00	240.83	250.00	427.04
10	कृषि अवसंरचना कोष	208.00	21.87	200.00	21.43
कुल - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ/परियोजनाएँ		**103162.30**	**95779.92**	**106428.8**	**105368.9**
II - केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएँ					
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)	2563.20	2562.17	2000.00	1796.12
2	**हरित क्रांति**				
2.1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2551.21	2561.25	2000.00	1729.11
2.2	**कृषोन्नति योजना**				
2.2.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1863.97	1675.23	1540.00	995.17
2.2.1.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और ऑयल पाम				
2.2.1.2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- अन्य फसलें				
कुल- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन					
2.2.2	जैविक खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय परियोजना	11.50	0.89	6.00	0.26
2.2.3	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	175.00	137.17	174.81	133.29
2.2.4	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	222.70	200.24	100.00	8.76
2.2.5	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (आरएडीपी एवं जलवायु परिवर्तन)	145.00	128.44	110.00	76.83
2.2.6	परंपरागत कृषि विकास योजना	350.00	381.05	100.00	88.57
2.2.7	राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना	29.00	27.10	20.00	8.37
2.2.8	एनबीएचएम सहित समेकित बागवानी विकास मिशन	1609.75	1423.34	1594.00	994.83
2.2.9	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	324.80	256.62	310.00	141.05
2.2.10	पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उप-मिशन	46.15	34.32	31.00	25.33
2.2.11	कृषि विस्तार उप-मिशन	940.00	886.33	924.00	820.98
2.2.12	सूचना प्रौद्योगिकी	45.00	42.52	55.19	40.08
2.2.13	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन	1022.00	999.70	850.00	816.55
2.2.14	समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना	343.42	307.18	267.00	267.11
2.2.15	समेकित कृषि सहयोग योजना	350.00	373.65	373.00	341.67
2.2.16	समेकित कृषि विपणन योजना	350.00	237.80	264.20	238.28
2.2.17	राष्ट्रीय बाँस मिशन	94.00	75.21	70.00	20.59

क्रं. सं.	मिशन/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24	
		संशोधित अनुमान	उपयोग	संशोधित अनुमान	उपयोग
कुल- सकल योग- अनुदान संख्या 1 (योजना + गैर-योजना)		**110254.53**	**101572.54**	**116788.96**	**110283.64**
	I- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ/परियोजनाएँ				
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी	12375.76	10296.03	15000.00	12948.50
2	संशोधित ब्याज छूट	22000.00	17997.89	18500.00	14251.93
3	बाजार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस/पीएसएस) का कार्यान्वयन	1500.00	4007.00	40.00	0.00
4	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	0.00	0.00	2200.00	2200.00
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दलहन का वितरण	166.21	166.21	446.30	446.30
7	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	60000.00	58253.82	60000.00	61440.74
8	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	50.00	12.50	138.00	100.00
9	कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन	955.00	124.19	450.00	428.86
10	कृषि अवसंरचना कोष	150.00	147.12	600.00	475.23
11	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	100.00	0.00	50.00	22.50
II - केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएँ					
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7000.00	5247.44	6150.35	5760.93
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन			100.00	30.19
3	कृषोन्नति योजना				
3.1	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा	900.00	841.70	1442.00	1414.58
3.2	खाद्य तेल- ऑयल पाम	700.00	152.58	525.00	296.46
3.3	खाद्य तेल-तिलहन	500.00	278.45	425.00	416.89
3.4	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	130.00	144.43	238.00	230.67
3.5	समेकित बागवानी विकास मिशन	1100.00	1189.69	1508.47	1420.31
3.6	बीज एवं रोपण सामग्री	250.00	191.93		
3.7	कृषि विस्तार	800.00	741.06	880.00	877.00
3.8	डिजिटल कृषि	70.00	21.24	200.00	118.58
3.9	कृषि संगणना एवं सांख्यिकी	300.00	288.10		
3.1	कृषि विपणन	250.00	866.77	1160.00	961.73
कृषि अवसंरचना और विकास कोष में अतिरिक्त अंतरण				5000.00	5000.00

क्रं. सं.	मिशन/योजना का नाम	वितीय वर्ष 2024-25	
		संशोधित अनुमान	उपयोग
कुल- सकल योग- अनुदान संख्या 1 (योजना + गैर-योजना)		**131195.21**	**124261.06**
क	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ/परियोजनाएँ**		
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	15864.00	14772.68
2	संशोधित ब्याज अनुदान	22600.00	17811.72
3	बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएसएस-पीएसएस)	75.13	22.59
4	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	6437.50	5437.99
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दलहन का वितरण	300.00	246.62
6	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम -किसान)	63500.00	66138.90
7	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	100.00	100.00
8	किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन	584.19	478.98
9	कृषि अवसंरचना कोष	750.00	729.05
10	नमो ड्रोन दीदी	250.00	1.48
11	कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजी सहायता	62.50	62.50
12	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	75.00	66.50
13	कृषि अवसंरचना कोष और विकास के लिए अतिरिक्त अंतरण	6000.00	6000.00
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ**		
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	6000.00	5611.60
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	100.00	10.35
3	कृषोंन्नति योजना	7106.36	5599.69

अनुबंध II

पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त जारी होने के बाद इसका लाभ पाने वाले किसानों का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण।

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		कुल लाभार्थी	कुल अंतरित राशि
	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित राशि		
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	10,474	2.48	13	0.00	2,866	0.70	13,353	3.18
आंध्र प्रदेश	34,22,321	732.81	4,37,719	92.60	2,99,914	62.63	41,59,954	888.05
अरुणाचल प्रदेश	5,865	1.45	113	0.03	88,975	21.16	94,953	22.63
असम	15,40,148	363.73	1,74,446	40.89	4,09,084	94.42	21,23,678	499.03
बिहार	64,84,827	1,370.76	8,73,938	184.47	2,54,858	54.20	76,13,623	1,609.42
चंडीगढ़	2	0.00					2	0.00
छतीसगढ	15,07,499	360.89	3,07,742	75.21	7,98,837	186.55	26,14,078	622.65
दिल्ली	11,050	2.56	120	0.03	1	0.00	11,171	2.59
गोवा	4,318	0.90	19	0.00	2,050	0.44	6,387	1.35
गुजरात	41,05,318	927.08	2,21,017	50.16	8,74,741	203.96	52,01,076	1,181.19
हरियाणा	15,98,665	359.85	52,561	11.83	2,515	0.57	16,53,741	372.25
हिमाचल प्रदेश	5,73,332	132.54	2,16,790	49.99	50,215	11.37	8,40,337	193.90
जम्मू और कश्मीर	7,26,883	170.62	67,467	14.80	92,007	22.56	8,86,357	207.99
झारखंड	17,83,273	648.34	2,05,371	86.33	2,69,483	98.50	22,58,127	833.17
कर्नाटक	38,53,562	823.10	3,45,173	73.67	2,13,229	45.40	44,11,964	942.17
केरल	26,96,351	606.09	1,66,716	39.02	34,634	8.51	28,97,701	653.62
लद्दाख	90	0.02	15	0.00	18,367	3.91	18,472	3.93
लक्षद्वीप	6	0.00			2,300	0.50	2,306	0.50
मध्य प्रदेश	55,95,321	1,195.95	10,37,170	220.55	18,72,870	400.78	85,05,361	1,817.28
महाराष्ट्र	80,38,421	1,735.15	6,39,617	138.18	6,50,248	140.18	93,28,286	2,013.51
मणिपुर	10,303	6.93	2,985	1.90	1,66,975	138.04	1,80,263	146.88
मेघालय	25,592	6.02	1,243	0.29	1,64,807	40.44	1,91,642	46.75
मिजोरम	189	0.07	1,935	0.53	1,25,312	48.03	1,27,436	48.63
नगालैंड	354	0.10	404	0.10	1,87,150	52.02	1,87,908	52.22
ओडिशा	23,37,942	627.30	3,64,344	101.02	8,12,321	242.05	35,14,607	970.37
पुदुचेरी	7,531	1.58	509	0.10	4	0.00	8,044	1.69
पंजाब	9,69,068	316.95	3,612	0.88	86,008	55.21	10,58,688	373.04
राजस्थान	54,37,278	1,291.54	11,41,323	267.94	10,41,037	245.05	76,19,638	1,804.53
सिक्किम	16,006	4.08	1,092	0.31	14,514	3.46	31,612	7.85
तमिलनाडु	19,86,145	441.44	2,31,464	51.11	41,170	9.32	22,58,779	501.87
तेलंगाना	22,13,357	466.15	4,41,383	92.89	4,59,232	96.85	31,13,972	655.89
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,370	0.52	161	0.03	9,275	1.99	11,806	2.54
त्रिपुरा	88,276	19.18	26,663	5.82	1,23,496	27.14	2,38,435	52.14
उत्तर प्रदेश	1,92,68,644	4,631.58	45,63,254	1,091.38	2,32,775	58.67	2,40,64,673	5,781.62
उत्तराखंड	6,51,772	145.73	1,33,321	29.85	42,704	9.48	8,27,797	185.06
पश्चिम बंगाल	39,43,495	855.13	6,03,106	132.20	62,787	14.03	46,09,388	1,001.36
कुल	**7,89,16,048**	**18,248.60**	**1,22,62,806**	**2,854.12**	**95,06,761**	**2,398.10**	**10,06,85,615**	**23,500.83**

अनुबंध III

पीएम-किसान के अंतर्गत लाभार्थियों की किस्त-वार संख्या और वितरित राशि निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**किस्त अवधि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**अंतरित लाभ (करोड़ रुपये में)**
पहली	वित्त वर्ष 2018-2019 (दिसंबर-मार्च)	3,16,21,743	6,324.35
दूसरी	वित्त वर्ष 2019-2020 (अप्रैल-जुलाई)	6,00,34,864	13,272.01
तीसरी	वित्त वर्ष 2019-2020 (अगस्त-नवंबर)	7,66,01,029	17,527.13
चौथी	वित्त वर्ष 2019-2020 (दिसंबर-मार्च)	8,20,91,667	17,943.00
पाँचवी	वित्त वर्ष 2020-2021 (अप्रैल-जुलाई)	9,26,93,999	20,989.49
छठी	वित्त वर्ष 2020-2021 (अगस्त-नवंबर)	9,72,27,546	20,476.33
सातवीं	वित्त वर्ष 2020-2021 (दिसंबर-मार्च)	9,84,76,200	20,475.15
आठवीं	वित्त वर्ष 2021-2022 (अप्रैल-जुलाई)	9,99,17,958	22,416.19
नौवीं	वित्त वर्ष 2021-2022 (अगस्त-नवंबर)	10,34,47,290	22,395.79
दसवीं	वित्त वर्ष 2021-2022 (दिसंबर-मार्च)	10,41,68,513	22,343.55
ग्यारहवीं	वित्त वर्ष 2022-2023 (अप्रैल-जुलाई)	10,48,45,164	22,618.80
बारहवीं	वित्त वर्ष 2022-2023 (अगस्त-नवंबर)	8,57,40,741	18,042.08
तेरहवीं	वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर-मार्च)	8,12,38,919	17,650.61
चौदहवीं	वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जुलाई)	8,56,79,091	19,203.93
पंद्रहवीं	वित्त वर्ष 2023-24 (अगस्त-नवंबर)	8,12,16,697	19,596.81
सोलहवीं	वित्त वर्ष 2023-24 (दिसंबर-मार्च)	9,04,44,694	23,092.29
सत्रहवीं	वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जुलाई)	9,38,01,580	21,057.13
अठारहवीं	वित्त वर्ष 2024-25 (अगस्त-नवंबर)	9,59,28,628	20,666.20
उन्नीसवीं	वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर-मार्च)	10,06,85,615	23,500.83
	कुल		**3,69,592**

*****